दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 22 सितंबर 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 353

महत्वपूर्ण एवं खास

चिली के स्वतंत्रता समारोह के दौरान सड़क दुर्घटना, 25 की मौत

सैंटियागो । चिली में 15 से 19 सितंबर तक वार्षिक स्वतंत्रता समारोह 'फिएस्टास पैट्रियास' के दौरान सडक़ दुर्घटनाओं में कुल 25 लोगों की मौत हुई। चिली के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार 11 लोगों की मौत कुचलने से हुई, टक्कर से 6 लोगों की, भिडंत से 4 लोगों की और वाहनों के पलटने से 4 लोगों की मौत हुई। लोक निर्माण मंत्री जेसिका लोपेज ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में कम मौत हुई हैं, वर्ष 2022 में 40 लोगों की मौत हुई थी। कारबिनेरोस (सैन्यीकृत पुलिस) के आदेश और सुरक्षा के राष्ट्रीय निदेशक एनरिक मोनरास ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नशे में गाड़ी चलाने के लिए कुल 393 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

अनाज पर बढ़ा विवाद: अब यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बंद करेगा पोलैंड

वारसॉ । पोलैंड ने घोषणा की है कि वह अब यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा, क्योंकि अनाज पर विवाद बढ़ गया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटुस्ज़ मोराविएकी ने कहा कि वह खुद को अधिक आधुनिक हथियारों से लैस करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र में राष्ट्रपति ब्लादिमिर ज़ेलेंस्की की टिप्पणियों पर यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता का दिखावा किया था, जिसे वारसॉ ने पोलैंड के संबंध में अनुचित बताया, जिसने युद्ध के पहले दिनों से ही यूक्रेन का समर्थन किया है। मोरावीकी ने अब हथियारों की आपूर्ति नहीं करने के फैसले की घोषणा की। अनाज विवाद रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ, जिसने मुख्य काला सागर शिपिंग लेन को पूरी तरह से बंद कर दिया और यूक्रेन को वैकल्पिक भूमिगत मार्ग खोजने के लिए मजबूर किया। इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में अनाज मध्य यूरोप में पहुंच गया। परिणामस्वरूप, यूरोपीय संघ ने पांच देशों में अनाज के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया स्थानीय किसानों की रक्षा करेंगे, जिन्हें डर था कि यूक्रेनी अनाज स्थानीय स्तर पर कीमतें कम कर रहा है। प्रतिबंध 15 सितंबर को समाप्त हो गया और यूरोपीय संघ ने इसे नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया, लेकिन हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड ने इसे लागू करने का फैसला किया, जिससे वारसॉ और कीव के बीच तनाव बढ़ गया।

कर्नाटक को झटका, सुप्रीम कोर्ट का कावेरी जल प्राधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पारित निर्देशों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक को 13 सितंबर से 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोडऩे का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति आर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) दोनों में जल संसाधन प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं और उन्होंने सभी प्रासंगिक मुद्दों पर विचार किया है। बेंच ने कहा कि सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी ने जिन कारकों पर विचार किया, उन्हें 'अप्रासंगिक' या 'विवादास्पद' नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अधिकारी 15 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से बैठक करेंगे और संबंधित अवधि के लिए स्थिति का आकलन करेंगे और पानी छोडऩे का निर्देश देंगे। तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि सीडब्ल्यूएमए ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीडब्ल्यूआरसी द्वारा अनुशंसित 7,200 क्यूसेक प्रति दिन की मात्रा के मुकाबले यंत्रवत् मात्रा को घटाकर 5,000 क्यूसेक प्रति दिन कर दिया।दूसरी ओर, कर्नाटक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने तर्क दिया कि सीडब्ल्यूएमए को कर्नाटक के बांधों से प्रति दिन 3,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोडऩे का आदेश नहीं देना चाहिए था। दीवान ने कहा कि उत्तर पूर्वी मॉनसून का फायदा कर्नाटक को बिल्कुल नहीं मिल पाता है और राज्य को पीने के पानी की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में कनाडा के नागरिकों की नो-एंट्री : खालिस्तान मुद्दे पर बढ़ते तनाव के बीच वीजा पर लगी रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के मामले में भारत और कनाडा में पैदा हुए तनाव के बीच भारत ने एक और बड़ा ऐक्शन लिया है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चितकाल तक के लिए बंद कर दिया है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कनाडा में वीजा केंद्रों को संचालन करने वाले बीएलएस इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है।

बीएलएस इंटरनेशनल ने वेबसाइट पर जारी नोटिस में लिखा है कि 'भारतीय मिशन की तरफ से महत्वपूर्ण सूचना ऑपरेशनल कारणों से भारत की वीजा सेवाएं 21 सितंबर से अगली सूचना तक बंद रहेगी।' इस बात की पुष्टि भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक ने भी की है।

हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि नोटिस में सारी बात साफ तौर पर कही है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है, जब भारत ने किसी भी देश के नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को बंद किया है। यह जानकारी बुधवार देर रात को सामने आई है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी कि कनाडा जाने वाले लोग सावधानी रखें। ऐसे किसी इलाके में न जाएं, जहां पर भारत विरोधी घटना हुई हो या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका हो।

कनाडा में भारतीय राजनयिकों को खतरा, बन चुका आतंकी गतिविधियों का केंद्र : विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली (आरएनएस)। खालिस्तान अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच गतिरोध बढ़ता जा रहा है। भारत ने एक बार फिर से कहा है कि कनाडा आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। वहां भारतीय दूतावास के कर्मचारी सुरक्षित नहीं हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा, अगर कोई देश है जिसे अपनी प्रतिष्ठा पर पर ध्यान देने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि यह कनाडा है। आतंकवादियों के लिए, चरमपंथियों के लिए और संगठित अपराध के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में कनाडा की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा देश है जिसे अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने की जरूरत है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, कनाडा में (आतंकियों को) सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कनाडाई सरकार ऐसा न करे। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन पर आतंकवाद के आरोप हैं या उन्हें न्याय का सामना करने के लिए यहां (भारत) भेजें... हमने या तो प्रत्यर्पण अनुरोध या उससे संबंधित सहायता मांगी है। पिछले कुछ वर्षों में हमने कम से कम 20-25 से अधिक व्यक्तियों को लेकर अनुरोध किया है लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं मिली।विदेश मंत्रालय ने कनाडा पर राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से संबंधित कोई भी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की गई है।

भारत का कहना है कि कनाडा सरकार ने जो भी आरोप लगाए हैं वे राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यहां कुछ हद तक पूर्वाग्रह है। उन्होंने आरोप लगाए और उन पर कार्रवाई की है। हमें ऐसा लगता है कि कनाडा सरकार के ये आरोप मुख्य रूप से राजनीति से प्रेरित हैं। इससे पहले, कनाडा ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह भारत में स्थित अपने दूतावास के कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा है। इसको लेकर अपनी साप्ताहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागची ने कहा, हां, हमने ही कनाडा सरकार को सूचित किया है कि हमारी पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता होनी चाहिए। उनकी संख्या कनाडा में हमारी तुलना में बहुत अधिक हैज् मुझे लगता है कि इसमें कनाडा की ओर से कमी होगी। उन्होंने कहा कि हमने कनाडा को सूचित किया है कि वे भारत में उतने ही कर्मचारी रखें जितने की भारत के कनाडा में हैं।

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि अगर कनाडा के पास कोई खास जानकारी है तो वह हमें दिखाई जाए, लेकिन अभी तक हमें कनाडा से कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है। हमारी ओर से, कनाडाई धरती पर स्थित व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सबूत कनाडा के साथ साझा किए गए हैं लेकिन उन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि कनाडा के नागरिकों के वीजा आवेदनों की प्रारंभिक जांच के लिए भारत द्वारा नियुक्त एक निजी एजेंसी ने ''संचालनात्मक वजहों'' से अपनी वेबसाइट पर बृहस्पतिवार को सेवाओं के निलंबन से संबंधित नोटिस जारी किया।

नर्मदा नदी के पानी से हजारों परिवार बेघर

भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और उसके बाद नर्मदा नदी पर बने बांधों का जलस्तर बढऩे से चार जिलों के डेढ़ सौ से ज्यादा गांव में बड़ा नुकसान हुआ है।

नर्मदा बचाओ आंदोलन का आरोप है कि प्रशासन के जल स्तर के गलत निर्धारण की वजह से हजारों परिवारों की जिंदगी को मुश्किल भरा बना दिया है। बीते दिनों की बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ा तो वहीं बैक वाटर भी गांवों तक पहुंच गया। इसके चलते धार, बड़वानी, खरगोन व अलिराजपुर के कई गांव पर असर पड़ा।

एक तरफ जहां मकान डूब में आ गए तो फसलों को भी बड़ा नुकसान हुआ। ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने से ओंकारेश्वर सहित कई गांवों को नुकसान हुआ, नर्मदा नदी के किनारे बसे मकानों के अलावा दुकानों को भी पानी ने अपनी चपेट में लिया था।

वहीं, सरदार सरोवर परियोजना के बैक वाटर ने कई गांव को अपनी चपेट में लिया, मकान, फसल और मवेशी से लेकर कारोबार तक पर इसका असर हुआ।

नर्मदा बचाओ आंदोलन का आरोप है कि सरदार सरोवर परियोजना के जलाशय में 16 सितंबर को नर्मदा नदी के ऊपरी क्षेत्र में बारिश के चलते और सरदार सरोवर गेट बंद होने से जो 138.68 मीटर लेवल के ऊपर 142 मीटर तक पानी आया उस कारण से जिन गांवों को सरदार सरोवर की डूब से बाहर करके रखा था, वे डूब में आ गए।

दर्दनाक हादसा : ढाबे में घुसा तेज रफ्तार कैंटर, चार लोगों की मौत

हापुड़ (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले के धौलाना क्षेत्र में एक बेकाबू कैंटर के ढाबे में घुसने के चार लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश मिश्र ने गुरुवार को बताया कि गाजियाबाद-दादरी राजकीय राजमार्ग पर खिर्जाबाद रोड पर बीती देर रात एक तेज रफ्तार कैंटर सडक़ किनारे ढाबे की दीवार तोड़ कर भीतर प्रवेश कर गया।

घटना के समय कुछ लोग भोजन कर रहे थे। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि दो अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हादसे में घायल दो अन्य का इलाज दादरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है जिनकी हालत खतरे से बाहर बतायी जाती है।

उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान एटा जिला निवासी अरूण और कासगंज निवासी जितेंद्र (18) के तौर पर की गयी है। दोनों ढाबा कर्मचारी बताये जाते हैं। अन्य दो मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किये जा रहे हैं। हादसे के बाद कैंटर चालक को हिरासत में ले लिया गया है।

रफ्तार का कहर ,अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत

हरपालपुर/ हरदोई (आरएनएस)। थाना क्षेत्र के कटरा बिल्हौर मार्ग पर शेखपुर गॉव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवो को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये हैं। शाहजहांपुर जनपद के अल्लाहगंज थाना क्षेत्र के मऊ गांव निवासी वीरेश कुमार32 पुत्र मनफूल अपने पड़ोसी रंजीत 25 पुत्र खुशीराम के साथ बाइक से गुरुवार को सांडी थाना क्षेत्र के नयागांव स्थित अपनी ससुराल गोलू के यहां भैंस खरीदने आया हुआ था। भैंस न मिलने पर वह घर वापस घर जा रहा था। बाइक रंजीत चला रहा था। तभी कटरा बिल्हौर मार्ग पर शेखपुर-जिलगांव के बीच में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवो को कब्जे में लेकर एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर भिजवाकर मर्चरी में रखवा दिए। परिजनों के पहुंचने पर दोनों शवो का पोस्टमार्टम भेज दिया गया है।

झारखंड में 5 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड कन्याकुमारी से गिरफ्तार, 77 लाख बरामद

रांची (आरएनएस)। झारखंड के गिरिडीह जिले के जमुआ में गुजरात के कारोबारी से 21 जून को हुई 5 करोड़ रुपए की लूट के मास्टरमाइंड खिरोधर साव उर्फ गुलाब साह को पुलिस ने कन्याकुमारी से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 77 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं।

इस मामले के छह आरोपियों को दो महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 3 करोड़ 24 लाख रुपए बरामद किए गए थे।

गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार ने एक प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। लूट की घटना जमुआ-गिरिडीह मुख्य मार्ग के बाटी मोड़ के पास 21 जून की रात हुई थी।

गुजरात निवासी जगत सिंह जडेजा और उनके सहयोगी मयूर सिंह क्रेटा एसयूवी कार में 5 करोड़ रुपए लेकर पटना से कोलकाता जा रहे थे। गिरिडीह के जमुआ थाना अंतर्गत बाटी मोड़ के पास अपराधियों ने ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाई और रकम लूट ली थी।

बताया गया है कि यह रकम पटना की डीवाई कंपनी की थी, जिसे एक स्पेशल सेफ में रखकर कोलकाता पहुंचाने का जिम्मा जगत सिंह जडेजा और मयूर सिंह ने लिया था। अपराधियों ने दोनों को क्रेटा से उतार दिया था, जो बाद में एक लाइन होटल के पास खड़ी पाई गई थी।

लूटकांड का मास्टर माइंड खिरोधर साव उर्फ गुलाब साह फरार था। पुलिस ने उसके एक सहयोगी मुन्ना रविदास को भी गिरफ्तार किया है। गुलाब की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम लगातार कई राज्यों में छापामारी कर रही थी।

असम पुलिस ने नकली नोट नेटवर्क का किया भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार

गुवाहाटी (आरएनएस)। नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) के प्रसार के खिलाफ अपने अभियान के तहत, असम पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से बड़ी संख्या में नकली नोट जब्त किए। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह ऑपरेशन एक विशिष्ट खुफिया रिपोर्ट के परिणामस्वरूप चलाया गया था कि गुवाहाटी शहर के बाहरी इलाके में जोराबाट इलाके में 14वें मील पर नकली मुद्रा बेची जा रही है। अधिकारी पहले अभियान के दौरान 2 लाख रुपये मूल्य के नोट जब्त करने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक, सभी नोट 500 रुपये के थे। गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों के नाम गोहेन्डोलोनी गांव के 32 वर्षीय अब्दुल कादिर और अहमदपुर गांव के 35 वर्षीय समीर उद्दीन हैं। दोनों उत्तरी लखीमपुर जिले के बिहपुरिया पुलिस स्टेशन के निवासी हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दोनों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किये। एक अन्य छापेमारी में पुलिस ने असम के गोलाघाट निवासी रबी अली नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास 3.33 लाख रुपये मूल्य के 500 रुपये के नकली नोट पाए गए, जिन्हें पुलिस बरामद करने में सफल रही।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने सहकारी समिति घोटाले में सीबीआई जांच पर बरकरार रखा पिछला आदेश

कोलकाता (आरएनएस)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एकल-न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश को बरकरार रखा जिसमें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में एक सहकारी समिति द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। 25 अगस्त को, कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने 25 अगस्त को अलीपुरद्वार में नकद ऋण देने वाली सहकारी समिति के खिलाफ आरोपों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश दिया। यह आदेश सर्किट बेंच में कल्पना दास सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सहकारी समिति ने पहले निवेशकों से भारी मात्रा में जमा राशि एकत्र की और फिर उससे जुड़े लोगों को ऋण के रूप में पैसा वितरित किया। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने 15 सितंबर को मामले से जुड़े जांच कागजात सीबीआई को सौंपने के आदेश का पालन नहीं करने पर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई और 50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया। राज्य सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और उदय कुमार की खंडपीठ से संपर्क किया। खंडपीठ ने शुक्रवार को हालांकि सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन उसने जुर्माने की राशि को घटाकर सिर्फ पांच लाख रुपये कर दिया। सीबीआई ने 18 सितंबर को मामले की जांच अपने हाथ में ले ली और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी भी दर्ज की।

लोकसभा के बाद राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ महिला आरक्षण बिल, विरोध में नहीं पड़ा एक भी वोट

नई दिल्ली। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया। सदन ने सर्वसम्मति के साथ 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पास कर दिया। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े जबकि किसी ने भी बिल के खिलाफ वोट नहीं डाला। वहीं विधेयक के पास होने के बाद सभापति धनखड़ ने कहा कि यह एक सुखद संयोग है कि हिंदू रीति के अनुसार आज PM मोदी का जन्मदिन है। मैं उन्हें बधाई देता हूं।

पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी-पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल के राज्य सभा से पास होने पर खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है।

संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं। यह महज एक विधान नहीं है; यह उन अनगिनत महिलाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने हमारे देश को बनाया है।

भारत उनके लचीलेपन और योगदान से समृद्ध हुआ है। जैसा कि हम आज मनाते हैं, हमें अपने देश की सभी महिलाओं की ताकत, साहस और अदम्य भावना की याद आती है। यह ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज और भी प्रभावी ढंग से सुनी जाए"।

सभी सदस्यों ने नारी शक्ति को बढ़ाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका- वहीं इससे पहले राज्यसभा में बिल पर चल रही चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ''इस बिल से देश के लोगों में एक नया विश्वास पैदा होगा।

27 सालों से पेंडिंग था बिल- करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अब राष्ट्रपति की टेबल पर है. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15 फीसदी से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है. इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था, जिन्होंने महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का विरोध किया था. हालांकि यह विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था.

लोकसभा में 14 फीसदी महिला सांसद- वर्तमान स्थिति की बात करें तो लोकसभा में 78 महिला सदस्य चुनी गईं, जो कुल संख्या 543 के 15 प्रतिशत से भी कम हैं. बीते साल दिसंबर में सरकार द्वारा संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, राज्यसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 14 प्रतिशत है. इसके अलावा 10 राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 फीसदी से भी कम है, इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पुडुचेरी शामिल हैं.